



Neutral Citation No. 2026:AHC-LKO:41555

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****दांडिक प्रकी. जमानत आवेदन सं. - 4333 वर्ष 2026**

राधेश्याम विश्वकर्मा उर्फ छुन्नन

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं 4 अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता	: मनोज कुमार सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता	: शा.अधि.

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह और राज्य के विद्वान् अ.शा.अधि. सुश्री रंजना श्रीवास्तव को सुन। और अभिलेख का परिशीलन किया है। आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

2. प्रस्तुत आवेदन, मुकदमा अपराध सं. 46 वर्ष 2026, दर्ज अंतर्गत धारा 74, 126(2), 351(2), भा.न्या.सं. और धारा 9(ड)/10, पाँक्सो अधिनियम, पुलिस थाना कोतवाली भिनगा, जिला श्रावस्ती में आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।

3. उपर्युक्त मामला यह कथन करते हुए, 31.01.2026 को दर्ज प्र.सू.रि. के आधार पर रजिस्टर किया गया है कि जब परिवादी की 12 वर्ष की पुत्री घर लौट रही थी, तो आवेदक ने उसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पकड़ लिया था, उसके साथ छेड़छाड़ की थी और बलात्कार करने के आशय से उसे घसीटा था।

पीड़िता के चिल्लाने पर कुछ बच्चे वहां पहुंचे थे, जिसके बाद आवेदक भाग गया था।

4. धारा 180, भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित पीड़िता के कथन में उसने कहा था कि जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तो आवेदक ने उसकी साइकिल गिरा दी थी, उसे पॉपलर के खेत में घसीटा था और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था। जब वह चिल्लाई, तो पास के खेत में उपस्थित उसकी चाची वहां आ गई और आवेदक भाग गया था। उसने कहा कि उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं हुआ था।

5. पीड़िता के पिता ने उसका चिकित्सा-विधिक परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया था।

6. धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित पीड़िता के कथन की प्रति अनुपूरक शपथपत्र के माध्यम से अभिलेख पर लाई गई है, जिसमें उसने कहा है कि वह साइकिल से स्कूल से घर लौट रही थी। फ़िरोज़ और नेहा भी दूसरी साइकिल पर जा रहे थे। आवेदक ने उसे रोका और डांटा और फ़िरोज़ एवं नेहा को भगा दिया था। आवेदक उसे पॉपलर के खेत तक घसीट कर ले गया था। उसे कोई चोट नहीं आई थी। वह स्कूल ड्रेस पहने थी। उसे जमीन पर खेत तक घसीटा गया था। जब वह चिल्लाई, तो उसके चाचा-चाची वहां आ गए थे।

7. जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में कहा गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक आपराधिक मामला सं. 654 वर्ष 2022, अंतर्गत धारा 323, 325, 504, 506, भा.दं.सं., पुलिस थाना- कोतवाली भिनगा, जिला श्रावस्ती में सम्मिलित है, यह जमानत आवेदन के पैरा-21 में स्पष्ट किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर छोड़ा गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. विद्वान् अ.शा.अधि.ने जमानत आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने निवेदित किया है कि आरोप स्थापित किए गए हैं और 23.05.2026 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, और पीड़िता के कथन में अभिलिखित कमियों की दृष्टि से, क्योंकि प्र.सू.रि. में यह कहा गया है कि पीड़िता के चिल्लाने पर बच्चे वहां पहुंचे थे, जबकि धारा 180, भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित कथन में उसने कहा है कि उसकी चाची पहुंची थी और धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन अभिलिखित कथन में उसने कहा है कि उसके चाचा और चाची दोनों वहां पहुंचे थे; यद्यपि, पीड़िता ने धारा 183, भा.ना.सु.सं. के अधीन अपने कथन में कहा है कि उसे जमीन पर घसीटा गया था, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी; कि आवेदक 01.02.2026 से जेल में है, जबकि अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है, मेरा विचार है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने के लिए मामला बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

11. आवेदक- राधेश्याम विश्वकर्मा उर्फ छुन्नन को, उपर्युक्त उल्लिखित मामले में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर छोड़ा जाए:

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत की गई प्रत्येक दिनांक पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

जून 19, 2026

आरती/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।